उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 16/2022/ 144/1362137/12-2002/8/2021-

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू. 285.94 लाख (रूपए दो करोड़ पचासी लाख चौरानबे हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
8. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण के सुसंगत मदों के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-1-3647-दस-2021-22, दिनॉक 25 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या: 16/2022/144/ 1362137(1)12-2002/8/2021 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: 1609/कृ0र0/छ-1/की0रो0नि0यो0/2021-22, दिनॉक 24 जनवरी, 2022 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल/यूपी.जीओवी.इन पर अपलोड किए जाने हेतु।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यालय आदेश संख्या:16/2022/144/1362137/12-2002/8/2021 14 मार्च, 2022

का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	प्राविधान वर्ष 2021-22	स्वीकृत की जा रही धनराशि
02-मजदूरी	45.00	14.70
09-विद्युत देय	22.00	11.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10.00	05.00
13-टेलीफोन पर व्यय	6.00	3.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	10.00
27-सब्सिडी	1550.00	88.61
29-अनुरक्षण	25.00	05.00
42-अन्य व्यय	60.00	20.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	250.00	114.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	40.00	9.13
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	5.00
योग	2048.00	285.94

(रूपए दो करोड़ पचासी लाख चौरानबे हजार रूपये मात्र)

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in